कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक –476 / 14–1 दिनांक, मुरादाबाद, 11 अगस्त, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद रामपुर में ग्राम पिपलिया मिश्र से तीन पानी मुण्डिया कला–कमुआ–केमरी (ग्रामीण मार्ग) किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य दॉयी पटरी पर खसरा संख्या –238, ग्राम नारायण नगला तहसील बिलासपुर में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा पैट्रोल / डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निमार्ण में प्रभावित 0.077588 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर की पत्र संख्या–363 / 14–1, दिनांक 09–08–2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना हैं कि जनपद रामपुर में ग्राम पिपलिया मिश्र से तीन पानी मुण्डिया कला–कमुआ–केमरी (ग्रामीण मार्ग) किमी0 चैनेज 8.568 से 8.618 के मध्य दॉयी पटरी पर खसरा संख्या –238, ग्राम नारायण नगला तहसील बिलासपुर में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 बरेली द्वारा पैट्रोल / डीजल पम्प हेतु सम्पर्क मार्ग के निमार्ण में प्रभावित 0.077588 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा विषयक कम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 2 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक – 2 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– / 14–1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को सन्दर्भित पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र / तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

भाग–3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

14.	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	–	नहीं।
15.	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग– ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	–	हॉ।
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	–	प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि : 11/8/2017

स्थान : mbd.

(ज्ञान प्रकाश वर्मा)

नाम व पदनाम वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

सरकारी मोहर मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।